International Journal of Research
ISSN: 2348-6848 Vol-3, Special Issue-7
National Seminar on Government Policies pertaining to Women: Awareness, Implications and Suggestions- 2016
Held on 26TH 27TH February 2016 organized by Department of Education and Department of English, DAK Degree College, Moradabad, UP, India.

महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा एवं कानूनी प्रावधान

(डॉ0 ऋतु दीक्षित)
असि0प्रो0एवं विभागाध्यक्षा–समाज ाास्त्र
डी0ए0के0 महाविद्यालय, मुरादाबाद
Email ID: rdritudixit@gmail.com

महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा भारत में ही नही वरन वि व के अनेक दे ाों, जिनमें अनेक विकसित राश्ट्र सम्मिलित है, चिन्ता का विशय रहा है एवं इसे रोकने हेतु तथा महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए वि व के अनेक दे ाों में कानून बनाये जाते रहे हैं। भारतवर्श के परिदृ य में तो घरेलू हिंसा विकराल रूप ले चुकी है और आज के सभ्य समाज के लिए एक अभि ाप के समान है। यद्यपि भारत में विभिन्न धर्मों, संस्कृति, भाशा व मान्यताओं के मानने वाले व्यक्ति रहते हैं, तथापि आ चर्यजनक रूप से सभी वर्गों में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा कम या अधिक मात्रा में व्याप्त है। विवाहित महिलाओं के प्रति बढ़ती क्रूरता का सन्दर्भ लेते हुए भारतीय संसद द्वारा वर्श में भारतीय दण्ड संहिता में धारा 498ऐ की वृद्धि की गयी, परन्तु यह प्रावधान महिलाओं को घरेलू हिंसा से छुटकारा दिलाने में नाकाम रहा। अन्यथा भी यह

प्रावधान केवल विवाहित स्त्री के प्रति उसके पति या उसके नातेदारों द्वारा क्रूरता किये जाने को अपराधिक कृत्य घोशित करता है एवं अन्य श्रेणी की महिलाओं के साथ हो रही घरेलू हिंसा तथा हिंसा कारित करने हेतु अपनाये जा रहे नये–नये आयामों व तरीकों से निपटने में यह प्रावधान पूर्णतः अपर्याप्त था। इसे अतिरिक्त धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता में क्रूरता का अर्थ भी एक निि चत परिधि में रखा गया, जबकि क्रूरता के विभिन्न आयाम समाज में अग्रसर हो रहे थे। बिना विवाह किये पति–पत्नी की तरह साथ–साथ रहने की व्यवस्था (Live in Relationship) भी समाज में अपने पैर पसारनेलगीथी।परोक्त समस्त आयामों का संज्ञान लेते हुए महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा को रोकने के उद्दे य से विधायिका द्वारा वर्श 2005 में ''घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम'' पारित किया गया इस कानून को अधिनियमित करनें मे विधायिका इन तथ्यों का संज्ञान लिया गया है कि घरेलू हिंसा एक मानवाधिकार है, जिसे ''वियना समझौता 1994'' व ''बीजिंग डिक्लेरे ान एण्ड प्लेटफार्म फार एक ान 1995'' द्वारा भी स्वीकार

किया गया है। ''यूनाइटेड ने न्स कमेटी आन कन्वैन् न आन इलिमिने न ऑफ आल फोर्म्स आफ डिसक्रिमिने न्स एगेन्स्ट वुमैन (CEDAW) द्वारा अपनी जनरल रिकमान्डे न सं0 XII (1989) द्वारा यह अनु ंसा की गयी है कि सदस्यीय राश्ट्रों को परिवारों में महिलाओं के प्रति हो रही प्रत्येक प्रकार की हिंसा को रोकने हेतु कदम उठाने चाहिये। इन तथ्यों का संज्ञान लेते हुए उपरोक्त अधिनियम भारत में अधिनियमित किया गया।

उक्त अधिनियम 2005 के प्रावधान नि चत रूप से व्यापक हैं एवं यह आ ा है कि यदि इसे सख्ती से लागू किया जाये तो यह कानून महिलाओं के प्रति हो रही विभिन्न प्रकार की घरेलू हिंसा को रोकने में मील का पत्थर साबित होगा। इस कानून में घरेलू हिंसा को व्यापक रूप से परिभाशित करते हुए इसमें प्रत्यर्थी (घरेलू हिंसा कारित करने वाला) का प्रत्येक ऐसा कृत्य, अकृत्य या आचरण सम्मिलित है यदि उससे व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ्य व जीवन की सुरक्षा, उसके भाारीरिक अंगो या उसके कल्याण को नुकसान

पहुंचता है या क्षति होती है। इसमें भाारीरिक दुरूपयोग, भााब्दिक या भावनात्मक दुरूपयोग और आर्थिक दुरूपयोग भी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त व्यथित व्यक्ति/महिला को इस दृश्टि से सताना, अपमानित करना, क्षति पहुंचाना कि दहेज की मांग पूरी हो सके तथा उपरोक्त कार्यों हेतु धमकी देना तथा भाारीरिक व मानसिक क्षति पहुंचाना भी सम्मिलित है।

इस अधिनियम में 'व्यथित व्यक्ति' की परिभाशा का दायरा बढ़ाते हुए ऐसी सभी स्त्रियों को सम्मिलित किया गया है जो किसी घरेलू संबंधों मे प्रत्यर्थी (हिंसा कारित करने वाला) के साथ रह रही हैं। (यहां घरेलू संबंधो का तात्पर्य ऐसे संबंध से है जहां दो व्यक्ति विवाह, नातेदारी या विवाह प्रकृति के संबंधों में या गोद लिये जाने के फलस्वरूप ऐसे संबंधों मे एक साथ रह रहे हैं या रहे हैं या एक संयुक्त परिवार के सदस्य की तरह रह रहे हैं।) इन प्रावधानों से यह स्पश्ट है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत न केवल विवाहित महिलाओं को बल्कि ऐसी महिलायें जो विवाह प्रकृति के संबंध में यथा ''लिव इन रिले ानि ाप'' में

किसी व्यक्ति के साथ रह रही हैं या एक सुंयक्त परिवार की सदस्य के रूप मे रह रही हैं को भी घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करते हुए उनके हितों को ध्यान में रखा गया है।

अधिनियम के अन्तर्गत संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। व्यथित स्त्री संरक्षण अधिकारी से घरेलू हिंसा की ि ाकायत कर सकती हे, जो इस संबंध में मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करेगा तथा पीड़िता को चिकित्सीय व कानूनी सहायता उपलब्ध कराना सुनि ि चत करेगा। व्यथित व्यक्ति यदि चाहे सीधे मजिस्ट्रेट को भी परिवाद कर सकती है जो दोनों पक्षों को सुनकर संरक्षण आदे ा पारित कर सकता है। ऐसे आदे ा के द्वारा मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी को घरेलू हिंसा रोकने और यदि महिला कहीं रोजगार करती है, तो उसके कार्यस्थल पर जाने से रोकने या उससे मौखिक, लिखित, इलैक्ट्रानिक व टेलिफोन से संबंध स्थपित करने से भी रोक सकता है। इसके अतिरिक्त संरक्षण आदे ा के द्वारा प्रत्यर्थी पुरूश को अपनी सम्पदा अन्तरित करने, बैंक लॉकर व बैंक खातों को संचालित करने से भी रोक सकता हे। इस

अधिनियम में एक महत्वपूर्ण प्रावधान प्रत्यर्थी पुरूश को व्यथित महिला को आवास से बेदखल करने से रोकने या संयुक्त गृह से हट जाने से रोकने का है। व्यथित व्यक्ति के आवासीय स्थल में जाने से भी ऐसे पुरूश को रोका जा सकता है।

संबंधित मजिस्ट्रेट को प्रत्यर्थी पुरूश द्वारा पीड़िता को आर्थिक अनुतोश दिलाये जाने के अतिरिक्त उसकी आय के नुकसान, चिकित्सीय मय व भरण पोशण भत्ता का आदे ा देने हेतु भी अधिकृत किया गया है। पक्षकारों के अव्यस्क बच्चों की कस्टडी के संबंध मे पीड़ित स्त्री को बच्चों की अस्थाई सुरक्षा भी दे सकता है।

अधिनियम 2005 के प्रावधानों से यह स्पश्ट है कि घरेलू हिंसा को रोकने व महिलाओं की सुरक्षा करने हेतु यह एक समग्र व प्रभावी कानून है। इस अधिनियम में हिसां के विभिन्न आयामों को आच्छादित करते हुए घरेलू संबंधों मे रह रही महिलाओं की जीवन सुरक्षा व मान मर्यादा को संरक्षित करने का गम्भीर प्रयास किया गया है परन्तु हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि महिलाओं, वि ोश

रूप से ग्रामीण पृश्ठभूमि की महिलाओं में अभी भी ि ाक्षा व जागरूकता की कमी है। वे कानूनों से अनभिज्ञ है, अतः सरकार का यह कर्तव्य है कि इस कानून का व्यापक प्रचार प्रसार हो। इसके साथ ही साथ पुरूशों का नजरिया बदलने हेतु भी सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों को पहल करनी होगी, क्योंकि मात्र कानून से समाज को नही बदला जा सकता है। यह तर्क दिया जा सकता है कि इस कानून का दुरूपयोग किया जा सकता है, परन्तु ऐसा भाायद ही कोई कानून हो, जिसका दुरूपयोग न किया गया हो, अतः मात्र दुरूपयोग की सम्भावना से इस कानून की महत्ता को न्यून नही किया जा सकता। हाँ, यह आव यक है इसके लागू करने से जुड़ी संस्थायें यथा पुलिस, मजिस्ट्रेट व संरक्षण अधिकारी आदि कानून की मं ाा अनुसार अपने कर्तव्यों को अंजाम दें।

आ ाा की जानी चाहिए कि यह कानून महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने व उन्हें गरिमामय जीवन जीने और उनके व्यक्तिगत का समग्र विकास करने में मील का पत्थर साबित होगा।